



## The Uttaranchal Disaster Mitigation, Management and Prevention Act, 2005

Act 29 of 2005

### Keyword(s):

Disaster, Disaster Effected Area, Authority, Commissioner Disastor Management, Disastor Management, Emergency Preparedness, Mitigation, Prevention, Reconstruction Regulation, Relief

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 11 नवम्बर, 2005 ई0

कार्तिक 20, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 617/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005

देहरादून, 11 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 पर दिनांक 10 नवम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 29, सन् 2005 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

**उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम, 2005**

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 29, वर्ष 2005)

उत्तरांचल राज्य में आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये

**अधिनियम**

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो :-

## अध्याय—एक

## प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना
- परिभाषाएं
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम, 2005 है।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य पर है।
  - (3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
    - (क) "आपदा" से ऐसी विपत्ति, संकट, दुर्घटना, गंभीर घटना जो प्राकृतिक हो या अन्यथा अभिप्रेत है, जिसके कारण मानव पीड़ा, अथवा मानव, जीव/जन्तु व वनस्पति जीवन का विनाश या सर्वनाश, सम्पत्ति की हानि व उसका नाश, पर्यावरण पतन होता हो जो विवेकपूर्ण व संरक्षक उपायों को दबा देता हो तथा व्यापक रूप से सरकार व समाज के सामान्य कार्य-कलापों को विच्छिन्न व अक्षम करता हो तथा अनुसूची में वर्णित घटनाओं में से कोई एक या अधिक घटना सम्मिलित हो;
    - (ख) "आपदा प्रभावित क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है, जहाँ अनुसूची के अधीन यथा परिभाषित कोई आपदा घटित हुई हो;
    - (ग) "प्राधिकरण" से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित उत्तरांचल राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
    - (घ) "आपदा प्रबन्धन आयुक्त" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त राज्य आपदा प्रबन्धन आयुक्त अभिप्रेत हैं;
    - (ङ) "आपदा प्रबन्धन" से निम्न दृष्टि से उपायों के कार्यान्वयन तथा योजना की समेकित और अनवरत प्रक्रिया अभिप्रेत है :-
      - (1) आपदाओं की जोखिम का न्यूनीकरण अथवा उसे कम करना,
      - (2) आपदाओं की कठोरता या परिणामों का न्यूनीकरण,
      - (3) आपदा निवारण हेतु क्षमता-निर्माण,
      - (4) आपात तैयारी,
      - (5) आपदा के प्रभावों का आकलन,
      - (6) आपात राहत तथा बचाव प्रदान करना, और
      - (7) आपदा पश्चात् पुनर्वास तथा पुनः निर्माण;
    - (च) "आपात तैयारी" से तैयारी की वह स्थिति अभिप्रेत है जो स्ट्रेकहोल्डर्स को सम्भावित या वास्तविक आपदा या किसी आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए सचल, संगठित और राहत प्रदान करने के लिए समर्थ बनाती है;
    - (छ) "स्थानीय प्राधिकरण" से सुसंगत स्थानीय प्राधिकरण विधि के अधीन गठित, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद्, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति या छावनी बोर्ड अभिप्रेत हैं;
    - (ज) "सदस्य" से, प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है;
    - (झ) "न्यूनीकरण" से, आपदा के प्रभावों या आघात को कम करने के लिए लक्षित उपाय अभिप्रेत हैं;
    - (ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

- (त) "निवारण" से वह उपाय अभिप्रेत हैं, जिनका उद्देश्य आपदा की घटना को टालना है;
- (थ) "पुनर्निर्माण" से आपदा के पश्चात् की गयी सम्पत्ति की मरम्मत तथा पुनः निर्माण अभिप्रेत हैं;
- (द) "विनियमन" से ऐसा कोई क्रियाकलाप, जिसका उद्देश्य आपदा द्वारा उत्पन्न दशाओं को पुनः सामान्य दशा में लाना हो, अभिप्रेत है;
- (ध) "राहत" से आपदा की घोषणा के दौरान या उसके ठीक पश्चात्, आपदा के कारण हुए कष्ट, पीड़ा, क्षति, यातना या कठिनाईयों को कम या समाप्त करना अभिप्रेत है;
- (न) "आपदा प्रवृत्त क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जहाँ आपदा की घटनाएँ बार-बार हुई हों तथा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति होने की आशंका हो।

### अध्याय—दो

#### आपदा प्रबन्धन के लिए प्राधिकारी

3. अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :-
- (क) राज्य सरकार;
- (ख) उत्तरांचल राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण;
- (ग) राज्य सरकार के अधीन विभागाध्यक्ष;
- (घ) मण्डलायुक्त;
- (ङ) जनपदों के जिलाधीश;
- (च) स्थानीय प्राधिकरण;
- (छ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र।
- आपदा प्रबन्धन के लिए प्राधिकारी

### अध्याय—तीन

#### राज्य सरकार के कृत्य

4. (1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम की धारा 3 में वर्णित सभी प्राधिकारी, और अभिकरण आपदा के प्रबन्ध तथा उसके प्रभावों के न्यूनीकरण के प्रयोजन हेतु ऐसे सभी उपाय करेंगे जो आवश्यक या समीचीन हैं।
- (2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों में, निम्नलिखित सभी या कोई उपाय सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-
- (क) यह सुनिश्चित करना कि समुचित नीतियाँ तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त विकसित किये जाएं;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि राज्य प्रशासन तथा स्थानीय प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों की योजना बनाते समय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर विचार करें;
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि एक व्यापक संचार व प्रौद्योगिकी तंत्र स्थापित किया जाए तथा बनाये रखा जाए;
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबन्धन योजनाएँ तैयार की जाएँ तथा आपदा के प्रबन्धन का प्रशिक्षण दिया जाए;
- (ङ) यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबन्धन हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध रहे;
- (च) आपदा के बेहतर प्रबन्धन, निवारण तथा न्यूनीकरण के लिए संस्था खोलने सहित शोध तथा विकास के क्षेत्र में उचित कदम उठाये जायें।
- राज्य सरकार के कृत्य

- (3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षीन, राज्य सरकार, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन तथा शक्तियों के प्रयोग में आपदा के प्रभाव के न्यूनीकरण या आपदा के कारण उत्पन्न आसन्न नुकसान को टालने हेतु, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को निर्देश दे सकती है तथा ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।
- (4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षीन, राज्य सरकार अपने कृत्यों के निष्पादन तथा शक्तियों के प्रयोग में, इस अधिनियम के अधीन, किसी कार्यपालिक आदेश के प्रवर्तन को निलम्बित कर सकती है, यदि ऐसा कार्यपालिक आदेश आपदा से निपटने की किसी आवश्यक कार्रवाई में निवारक, बाधक या विलम्बकारी है।
- (5) राज्य सरकार के सभी विभाग, प्राधिकरण, मण्डलायुक्त तथा जिलाधीश अथवा स्थानीय प्राधिकरण को संचार केन्द्र स्थापित करने, आकस्मिक योजना का प्रारूप बनाने, क्षमता निर्माण, आंकड़ों का संग्रह तथा कार्मिकों को पहचान कर प्रशिक्षण देने में सहायता प्रदान करेंगे।

### अध्याय-चार

#### राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना एवं निगमन

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना एवं निगमन

5. (1) राज्य सरकार, राज पत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, उत्तरांचल राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।
- (2) प्राधिकरण शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा तथा निगमित नाम से वाद लायेगा या उस पर वाद लाया जायेगा तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षीन, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्तियों के अर्जन, धारण व व्ययन के लिए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक संविदा तथा सभी कार्य करने के लिए सक्षम होगा।
- (3) प्राधिकरण का मुख्यालय देहरादून में अवस्थित होगा।
- (4) प्राधिकरण, राज्य सरकार के अनुमोदन से इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रयोजन के लिए राज्य के भीतर या बाहर ऐसे स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है, जहाँ वह उचित समझे।

प्राधिकरण का गठन

6. (1) प्राधिकरण निम्नलिखित से मिल कर बनेगा :-
  - (क) राज्य का मुख्यमंत्री- पदेन अध्यक्ष;
  - (ख) विधान सभा का ऐसा निर्वाचित सदस्य जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाय- पदेन उपाध्यक्ष;
  - (ग) मुख्य सचिव- पदेन सदस्य;
  - (घ) प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तरांचल शासन- पदेन सदस्य;
  - (ङ) शासन के गृह, चिकित्सा, वित्त, लोक निर्माण, ऊर्जा, सिंचाई, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों में से उत्तरांचल शासन द्वारा नामित तीन प्रमुख सचिव- पदेन सदस्य;
  - (च) विभागाध्यक्ष, भूकम्प अभियांत्रिकी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की- पदेन सदस्य;
  - (छ) निदेशक, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून- पदेन सदस्य;
  - (ज) निदेशक, दूरसंवेदन संस्थान, देहरादून- पदेन सदस्य;

- (झ) आपदा प्रबन्धन व नियंत्रण से सम्बन्धित विषयों का ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य;
- (ञ) मण्डल आयुक्त— पदेन सदस्य;
- (त) अधिनियम के अध्यक्षीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नामित आयुक्त आपदा प्रबन्धन— सदस्य सचिव पदेन;
- (थ) भारत सरकार, गृह मंत्रालय के एन0डी0एम0 का प्रतिनिधि जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो— पदेन सदस्य;
- (द) कार्यपालक निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून— पदेन सदस्य; और
- (ध) कमाण्डर, उत्तरांचल, सब एरिया, देहरादून— पदेन सदस्य।

(2) प्राधिकरण के सदस्य पदेन सदस्यों से भिन्न राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे और विनियमों में जैसा विहित किया जाए, पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे।

7. (1) प्राधिकरण ऐसे समय तथा स्थानों पर बैठक करेगा तथा उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यक्षीन अपनी बैठकों में (गणपूर्ति सहित) अपने कारबार के संव्यवहार की बाबत प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- (2) यदि बैठक के नियत समय पर अध्यक्ष उपस्थित है तो प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता उसके द्वारा की जायेगी और यदि अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठतम सदस्य द्वारा की जायेगी।
- (3) प्राधिकरण की बैठक में सभी विषयों का विनिश्चय उपस्थित और मत डालने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष को एक द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।
- (4) (क) प्रत्येक सदस्य जो प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी संविदा या करार में, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी प्रकार से सम्बद्ध या हितबद्ध है तो वह प्राधिकरण की बैठक के पूर्व या उस समय अपनी सम्बद्धता या हित की प्रकृति प्रकट करेगा;
- (ख) कोई सदस्य जो किसी संविदा या करार में सम्बद्ध या हितबद्ध है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, प्राधिकरण द्वारा उसकी ओर से की गयी या किये जाने वाली किसी संविदा या करार में विचार के समय भाग नहीं लेगा या मत नहीं डालेगा।

परन्तु यह कि, किसी ऐसी संविदा या करार में सम्बद्ध किसी कम्पनी जिसकी कुल समादत्त अंश पूंजी के दो प्रतिशत से कम और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धारण किये हो, ऐसा अंशधारी होने के कारण किसी सदस्य को यथापूर्ववत् सम्बद्ध या हितबद्ध नहीं समझा जायेगा।

8. प्राधिकरण का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि—
- (क) उसमें कोई रिक्ति विद्यमान है या उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या
- (ख) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

प्राधिकरण के अधि-  
कारी तथा कर्मचारी

9. (1) राज्य सरकार आयुक्त, आपदा प्रबन्धन को प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यपालक अधिकारी नामित करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा, जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- (2) प्राधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीनस्थ ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह अपने कृत्यों के दक्ष निष्पादन हेतु आवश्यक समझे।
- (3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे वेतन तथा भत्तों को प्राप्त करने के हकदार होंगे तथा सेवा के ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाए।
- (4) प्राधिकरण के अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगे जो कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा लिखित रूप में जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा उन पर अधिरोपित किये जायें।

राज्य आपदा प्रबन्धन  
आयुक्त

10. (1) राज्य सरकार सम्पूर्ण प्रदेश के लिए राज्य आपदा प्रबन्धन आयुक्त के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा और अपर सचिव, उत्तरांचल शासन के नीचे की पंक्ति का न होगा।
- (2) उक्त आयुक्त, आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जो उस पर इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये जायें।
- (3) उक्त आयुक्त ऐसे वेतन व भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा तथा सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा, जो कि विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

#### अध्याय—पाँच

#### प्राधिकरण के कृत्य

प्राधिकरण के कृत्य

11. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, प्राधिकरण, आपदा प्रबन्धन की ऐसी समन्वित व समेकित प्रणाली की प्रोन्नति हेतु मूलतः उत्तरदायी होगा जिसमें स्थानीय प्राधिकरणों, स्टैकहोल्डर्स तथा समुदायों द्वारा आपदा का निवारण अथवा न्यूनीकरण भी सम्मिलित है।
- (2) प्राधिकरण—
- (क) आपदा प्रबन्धन तथा आपदा पश्चात् पुनःनिर्माण, पुनर्वास, मूल्यांकन तथा निर्धारण के लिए केन्द्रीय आयोगक, समन्वयक तथा मोनिटरी निकाय के रूप में कार्य करेगा;
- (ख) इस बात के होते हुए भी कि आपदा राहत का कार्यान्वयन राजस्व विभाग व सरकार के अन्य विभागों का उत्तरदायित्व है, आपदा राहत से सम्बन्धित नीति की संरचना में सरकार की सहायता करेगा;
- (ग) राज्य सरकार तथा उस सरकार के विभागों को आपदा प्रबन्धन में हुई प्रगति की तथा समक्ष आयी समस्याओं की सूचना देगा;
- (घ) आपदा प्रबन्धन, आपदा योजना व प्रतिक्रिया तथा उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक मामलों पर सामान्य शिक्षा और जानकारी का संवर्धन करेगा;
- (ङ) राज्य सरकार, जिलाधीश, राज्य सरकार के सम्बद्ध अधिकारी तथा राज्य में स्थानीय प्राधिकरण, प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निष्पादन में ऐसी सहायता तथा सहयोग प्रदान करेंगे जो उसके द्वारा अपेक्षित हो और उस आधारीक ज्ञान का सृजन और प्रसार की प्रलेखित सम्भावित परिसंकट और न्यूनीकरण पर जानकारी प्रदान करेगा जो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की निश्चय कर्ताओं तक पहुंच सकें;

- (च) भवन संनिर्माण संहिताओं के कार्यान्वयन के लिए अधिकरण के रूप में कार्य करेगा;
- (छ) वस्तुनिष्ठ चेतावनी प्रणाली का विकास तथा शरण क्षेत्रों की पहचान करेगा;
- (ज) एक कुशल तथा अग्र सक्रिय खोज व बचाव तंत्र विकसित करेगा व उसे कार्यान्वित करेगा;
- (झ) एक आपात चिकित्सा प्रणाली विकसित करेगा व उसे कार्यान्वित करेगा;
- (ञ) जोखिम प्रबन्धन हेतु एक समूह का निर्माण करेगा और उन्हें शिक्षित करेगा;
- (त) मानकों का विकास व प्रख्यापन करेगा;
- (थ) विकास निश्चय कर्ताओं के लिए खुली प्रक्रिया का सृजन करेगा;
- (द) सरकार के भीतर नीतिगत गठबन्धन का सृजन, प्राकृतिक तथा प्रौद्योगिक परिसंकेतों का विलयन और जोखिम प्रबन्ध;
- (घ) न्यूनीकरण की गतिशीलता हेतु विनियमन व बीमे का उपयोग;
- (न) आपात प्रबन्धन का व्यवसायीकरण व मानकीकरण;
- (प) विभिन्न क्षेत्रों में सफल संचार के माध्यम से विस्तृत समेकित सरकारी अनुक्रिया सुनिश्चित करेगा;
- (फ) अगदा प्रबन्धन केन्द्रित विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

12. प्राधिकरण राज्य में किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी भवन या ढांचे के निर्माण की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा तथा जहाँ प्राधिकरण की राय यह है कि ऐसे भवन या ढांचे के पुनः निर्माण की गुणवत्ता ऐसी है कि यदि आपदा घटित हो तो परिणामस्वरूप जीवन हानि या सम्पत्ति का नुकसान हो सकता हो तो ऐसे परिणाम टालने के लिए संगत स्थानीय प्राधिकरण विधि के अधीन ऐसी कार्यवाही करने के लिए जो आवश्यक हो, स्थानीय प्राधिकारी को संस्तुत कर सकता है।

समुचित प्राधिकारी को की जाने वाली संस्तुतियाँ

#### अध्याय-छः

#### मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ तथा कृत्य

13. प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी निम्न शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात् :-
- (क) क्षमता निर्माण सहित, आपदा के निवारण व न्यूनीकरण से सम्बन्धित क्रिया-कलापों को समन्वित तथा मानिटर करना;
- (ख) पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण क्रिया-कलापों को समन्वित तथा मानिटर करना;
- (ग) आपदा प्रबन्धन योजनाओं की तैयारी व अद्यतन प्रगति को मानिटर करना व ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करना;
- (घ) प्राधिकरण द्वारा किये गये क्रिया-कलापों पर नियत कालिक रिपोर्ट तैयार करना व प्राधिकरण को प्रस्तुत करना;
- (ङ) प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपनी शक्तियाँ तथा कृत्यों को प्रत्यायोजित करना;
- (च) ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निष्पादन करना जैसी प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित की जायें;
- (छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें; और
- (ज) यह घोषणा करना कि राज्य या उसका कोई भाग आपदा प्रभावित क्षेत्र है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ तथा कृत्य



## अध्याय—सात

## राज्य आपदा प्रबन्धन आयुक्त की शक्तियाँ तथा कृत्य

आपात राहत

14. (1) उस अवधि के दौरान जिसमें किसी क्षेत्र को "आपदा प्रभावित क्षेत्र" घोषित किया जाता है, आयुक्त, जिलाधिकारी तथा स्थानीय प्राधिकारी को जिनकी प्रभावित क्षेत्र पर अधिकारिता है, आपदा प्रबन्धन योजनाओं तथा सीआरएफ/एनसीसीएफ मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार आपात राहत प्रदान करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है तथा जिलाधिकारी को सम्मिलित करते हुए नीचे के सभी स्थानीय प्राधिकारी जिन्हें ऐसे निर्देश दिये जाते हैं, के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह ऐसे निर्देशों के अनुसार कृत्य करें।

(2) आयुक्त—

(क) समुदाय को सहायता व संरक्षण प्रदान करने,

(ख) समुदाय को राहत प्रदान करने,

(ग) विघटन के निवारण या उसका मुकाबला करने, या

(घ) आपदा के विनाशकारी या अन्य प्रभाव से निपटने के प्रयोजन के लिए—

(1) उपलब्ध साधनों के जारी करने तथा उपयोग हेतु व्यवस्था कर सकता है;

(2) प्रभावित क्षेत्र के भीतर, आने और जाने के लिए वाहन यातायात को नियंत्रित तथा निर्बन्धित कर सकता है;

(3) प्रभावित क्षेत्र या उसके किसी भाग में किसी व्यक्ति के प्रवेश, गतिविधि तथा प्रस्थान पर नियंत्रण तथा निर्बन्धन लगा सकता है;

(4) मलबा हटा सकता है;

(5) तलाशी तथा बचाव कार्य संचालित कर सकता है;

(6) लावारिस शवों के निस्तारण की समुचित साधनों द्वारा व्यवस्था कर सकता है;

(7) वैकल्पिक शरण प्रदान कर सकता है;

(8) भोजन, दवाइयाँ तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा सकता है;

(9) अपने निर्देशन तथा पर्यवेक्षण के अधीन राहत प्रदान करने के लिए आपदा से सुसंगत क्षेत्र के विशेषज्ञ तथा परामर्शियों की अपेक्षा कर सकता है;

(10) जब अपेक्षित हो, सुख सुविधाओं का अनन्य या अधिमानी उपयोग उपलब्ध करा सकता है;

(11) किसी सम्पत्ति, वाहन, उपकरण, भवन तथा संचार के साधन का ऐसी शर्तों व निर्बन्धनों पर जैसी कि विहित की जायें, कब्जा और उनका उपयोग कर सकता है;

(12) अस्थायी पुलों तथा अन्य आवश्यक ढांचों का सन्निर्माण कर सकता है;

(13) जनता को संकटापन्न कर सकने वाले असुरक्षित ढांचों को ध्वस्त कर सकता है;

(14) यह सुनिश्चित कर सकता है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठन साम्यपूर्ण रीति से अपने कार्यकलाप करते हैं;

- (15) आपदा से निपटने के लिए जनता में सूचना का प्रसारण कर सकता है;
- (16) जीवन संरक्षण के प्रयोजन के लिए किसी भी प्रभावित क्षेत्र से किसी आबादी का निष्क्रमण करवा सकता है, और ऐसे निष्क्रमण के लिए उतने बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवश्यक हो; तथा
- (17) किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर प्रवेश करने, किसी द्वार, फाटक या अन्य अवरोध को खोलने या खुलवाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, यदि वह समझे कि ऐसी कार्यवाही जीवन तथा सम्पत्ति के संरक्षण के लिए आवश्यक है व स्वामी या निवासी अनुपस्थित है या उपस्थित होते हुए भी द्वार, फाटक या अवरोध खोलने से इंकार करता है।

- (3) आयुक्त, किसी व्यक्ति या सरकारी अभिकरण को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है तथा ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकता है जो आपदा को रोकने या आपदा के प्रभावों के प्रसार को रोकने या आपदा के प्रभाव को घटाने या कम या न्यून करने के लिए आवश्यक हो।
- (4) आयुक्त, उसके द्वारा साधारणतः राहत प्रदान करने के लिए और विशिष्टतः उपधारा (1) से (3) के अधीन की गयी कार्यवाहियों से आयोग को अवगत करायेगा।

15. (1) आयुक्त—

आयुक्त के अन्य कृत्य

- (क) आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित बातों, जैसे पूर्व चेतावनी तथा तैयारी की स्थिति से प्राधिकरण को अवगत करायेगा;
- (ख) राज्य के संसाधनों तथा संस्थागत क्षमता की दक्षता तथा प्रत्येक जनपद की अपने में विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के परामर्श से राज्य के लिए समुचित राहत कार्यान्वयन नीति विकसित करेगा;
- (ग) जनपद या मंडल स्तर की आपात योजनाएं तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करेगा, पुनर्विलोकन करेगा और उन्हें अद्यतन रखेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ये योजनाएं तैयार की जायं, पुनर्विलोकित की जायं और अद्यतन रखी जायं तथा प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी महायोजना के अनुरूप हों।
- (घ) आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित आकस्मिक योजनाओं का समय-समय पर पुनःनिर्धारण करेगा;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्धन कवायदें नियतकालिक रूप से होती रहें;
- (च) यह सुनिश्चित करेगा कि संचार प्रणाली व्यवस्थित है तथा आकस्मिक योजनाओं में स्थानीय अभिकरणों की अधिकतम भागीदारी के लिए व्यवस्था है;
- (छ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसे प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित की जायें; और
- (ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायं।

अध्याय—आठ

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र

16. आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र प्राधिकरण के लिए एक चिन्तन समूह के रूप में कार्य करेगा तथा आपदा के प्रत्येक चरण अर्थात् आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा पश्चात् चरणों के लिए योजना तैयार करेगा, जिन्हें अन्ततः प्राधिकरण

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र

द्वारा अनुमादित किया जायेगा। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, उत्तरांचल में ऐसे स्थान पर अवस्थित होगा जो राज्य सरकार विनिश्चित करे। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र निम्न से मिलकर बनेगा :-

- (i) कार्यपालक निदेशक, ऐसे संकाय सदस्य, जिसे राज्य सरकार प्राधिकरण से परामर्श से रखने का विनिश्चय करे;
- (ii) कार्यपालक निदेशक-
  - (क) आपदा प्रबन्धन में वृत्तिक व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार प्राधिकरण के परामर्श से रखने का विनिश्चय करेगी,
  - (ख) कार्यपालक निदेशक आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जो प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे जायेंगे,
  - (ग) कार्यपालक निदेशक ऐसे वेतन व भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा तथा सेवा की ऐसी शर्तों के द्वारा शासित होगा, जैसी कि विहित की जायें।

आपात न्यूनीकरण  
एवं प्रबन्धन केन्द्र  
के कृत्य

17. (1) आंकड़ों का संग्रह तथा शोध-

- (क) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र आपदा तथा प्रबन्धन के सभी पहलुओं पर आंकड़े संग्रह करने या संग्रह करवाने के लिए उचित कार्यवाही करेगा, ऐसे आंकड़ों का विश्लेषण करेगा तथा ऐसे शोध और अध्ययन करेगा व करवायेगा जिनका सम्बन्ध घटनाओं के भावी प्रभाव से हो, जिनके परिणामस्वरूप आपदा हो सकती है तथा यह भी कि इन आपदाओं का किस प्रकार निवारण, प्रबन्धन व न्यूनीकरण किया जाय;
- (ख) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र किसी व्यक्ति से ऐसी अवधि के भीतर जैसी सूचना में विनिर्दिष्ट हो, लिखित सूचना देकर ऐसी सूचना अपेक्षित करवा सकता है जो कि उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के लिए उपयोगी हो।

(2) सूचना का मंडारक-आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र आपदाओं तथा आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित सूचनाओं के मंडारक के रूप में कार्य करेगा, तथा-

- (क) राज्य में संचार माध्यमों की स्थापना तथा आपात संचार व पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करेगा;
- (ख) आपदा प्रबन्धन परिचालन हेतु अपेक्षित सूचनाओं का सूचना-संग्रह (डाटा बेस) अनुरक्षित करेगा;
- (ग) प्राधिकरण की मॉति ही कार्य कर रहे अन्य संस्थानों सहित भारत तथा अन्य देशों के आपदा प्रबन्धन अभिकरणों के साथ संचार माध्यम स्थापित करना सुनिश्चित करेगा;
- (घ) सूचना आदान-प्रदान तथा आपदा प्रबन्धन पर अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।

(3) आपदा प्रबन्धन योजनायें-

- (अ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र आपदा महायोजनाओं तथा युक्तियों की तैयारी के लिए भार्गदर्शक सिद्धान्त विकसित करेगा या करवायेगा तथा उन्हें अद्यतन रखेगा तथा सरकार के ऐसे विभागों, स्थानीय प्राधिकारियों तथा व्यक्तियों की सहायता करेगा जैसे कि योजनाओं तथा युक्तियों की तैयारी में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट हों तथा उन्हें समन्वित करेगा;

(आ) उप धारा (1) के अधीन योजना तैयार करते समय योजना तैयार करने वाला अभिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुये योजना में समुचित व्यवस्थायें करेगा, अर्थात् :-

- (क) उन आपदाओं का प्रकार जो कि घटित हो सकती हैं और उनके सम्भावित प्रभाव;
- (ख) वे समुदाय तथा सम्पत्ति जिन पर खतरा हो;
- (ग) समुचित निवारण तथा न्यूनीकरण युक्तियों हेतु उपबन्ध;
- (घ) आपदा से निबटने में अक्षमता तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा;
- (ङ) आपदा निवारण के लिये युक्तियों का एकीकरण तथा राज्य में विकास योजनाओं, कार्यक्रमों तथा ऐसे अन्य क्रियाकलापों द्वारा इसके प्रभावों का न्यूनीकरण;
- (च) प्रकृति के आंकलन हेतु उपबन्ध तथा आपदा के प्रभावों की विशालता;
- (छ) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विषय।

(इ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र राज्य के लिये एक महायोजना तैयार करेगा या करवायेगा तथा उसका अनुरक्षण करेगा।

(3) जागरुकता तथा तैयारी—

(अ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र जागरुकता तथा तैयारी को बढ़ावा देगा या दिलवायेगा तथा सम्भावित आपदा से निपटने के लिये समुदाय तथा स्टेकहोल्डर्स की क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से समुदाय तथा स्टेकहोल्डर्स को निम्न विषयों पर सलाह देगा और उन्हें प्रशिक्षित करेगा :

- (क) इस निमित्त मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा संस्तुतियों के प्रकाशन द्वारा;
- (ख) अपने इलेक्ट्रोनिक सूचना सामग्री आधार तक सुगम पहुँच द्वारा;
- (ग) आपदा प्रबन्धन क्षमता निर्माण के उत्थान तथा समुदाय व अन्य स्टेकहोल्डर्स के मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा;
- (घ) आपदाओं की भेद्यता में कमी के लिये कार्यविधि विकसित करने में सहायता द्वारा;
- (ङ) विकास योजनाओं, कार्यक्रमों तथा ऐसे अन्य कार्यकलापों द्वारा जागरुकता व तैयारी के लिये कार्यविधियों के एकीकरण में समन्वय द्वारा; तथा
- (च) इस निमित्त जैसा उचित समझे, वैसे किसी अन्य तरीके से कार्य द्वारा।

(आ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, जैसा वह आवश्यक समझे, आपदा की तैयारी के लिये बीमे सहित, खतरा स्थानान्तरित करने के यंत्र जाल से सम्बन्धित वैसी नीतियाँ बनायेगा तथा उन्हें क्रियान्वित करेगा या करवायेगा।

### अध्याय—नौ

#### मण्डल आयुक्त और जिलाधिकारी की शक्तियाँ तथा कृत्य

18. (1) मण्डल आयुक्त अपने मण्डल में आपदा प्रबन्धन के विषय में स्थानीय निकायों और अधिकारियों के मध्य समन्वय एवं मार्गदर्शन का कार्य करेगा और ऐसी साधारण एवं विशेष शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे प्राधिकरण, आपदा प्रबन्धन आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित की जायें।

मण्डल आयुक्त की शक्तियाँ तथा कृत्य

जिलाधिकारी की  
शक्तियाँ तथा कृत्य

- (2) जनपद स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं के सक्रिय होने पर, मण्डलायुक्त—
- (क) मण्डल के भीतर विभिन्न जनपदों से संसाधनों की आपूर्ति की व्यवस्था करेंगे;
- (ख) मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (आपदा प्रबन्धन), आयुक्त, आपदा प्रबन्धन, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र/आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र से निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे।
19. (1) जिस अवधि में कोई क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, जिलाधिकारी उस प्रभावित क्षेत्र के सरकारी विभागों के अधिकारियों तथा स्थानीय प्राधिकारी को, आपदा प्रबन्धन आयुक्त के पर्यवेक्षण के अधीन आपदा प्रबन्धन योजनाओं के अनुरूप आपात राहत प्रदान करने हेतु निर्देश दे सकता है।
- (2) जिलाधिकारी—
- (क) उपलब्ध संसाधनों के जारी करने तथा उपयोग के लिये इन्तजाम करेगा;
- (ख) आपदा से प्रभावित क्षेत्र के भीतर तथा उस ओर से या उस ओर को यातायात नियंत्रित तथा निर्बन्धित कर सकता है;
- (ग) किसी आपदा क्षेत्र या उसके किसी भाग में किसी व्यक्ति का प्रवेश, उसके भीतर आवागमन या वहाँ से प्रस्थान को नियंत्रित और निर्बन्धित कर सकता है;
- (घ) मलबा हटा सकता है;
- (ङ) तलाशी व बचाव कार्य परिचालित कर सकता है;
- (च) समुचित साधनों द्वारा लावारिस शवों के निस्तारण के लिये व्यवस्था कर सकता है;
- (छ) वैकल्पिक शरण प्रदान कर सकता है;
- (ज) भोजन, दवाईयाँ तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध करा सकता है;
- (झ) अपने निर्देशन तथा पर्यवेक्षण के अधीन राहत प्रदान करने के लिये आपदा से सुसंगत विषय के विशेषज्ञ तथा परामर्शियों को अपेक्षित कर सकता है;
- (ञ) जैसी विहित हों, वैसी शर्तों तथा निबन्धनों पर किसी सम्पत्ति, वाहनों, उपकरण, इमारतों तथा संचार के माध्यमों पर कब्जा तथा उनका प्रयोग कर सकता है;
- (ट) जब व जैसे अपेक्षित हो, सुख सुविधाओं का अनन्य व अधिमानी उपयोग उपलब्ध करा सकता है;
- (ठ) अस्थायी पुलों तथा ढाँचों का निर्माण करा सकता है;
- (ड) जनता को संकटापन्न कर सकने वाले असुरक्षित ढाँचों को ध्वस्त कर सकता है;
- (ढ) गैर सरकारी संगठनों से समन्वय रख सकेगा तथा यह सुनिश्चित कर सकेगा कि ऐसी सत्तायें आपदा प्रभावित क्षेत्र के भीतर अपने कार्यकलाप साम्यिक तरीके से निष्पादित करें;
- (ण) आपदा से निपटने के लिये जनता में सूचना का प्रसार करेगा;
- (त) जीवन संरक्षण के उद्देश्य के लिये किसी आपदा प्रभावित क्षेत्र से समस्त आबादी या उसके किसी भाग को निष्क्रमण के लिये निर्देश दे सकता है, बाध्य कर सकता है तथा ऐसे निष्क्रमण के लिये, उतने बल का जो आवश्यक हो, प्रयोग कर सकेगा;

(थ) किसी सम्पत्ति या जीवन के संरक्षण के लिये यदि वह समझे कि ऐसी कार्यवाही आवश्यक है तो किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर प्रवेश करने, किसी द्वार, फाटक या अवरोध को खोलने या खुलवाने के लिये प्राधिकृत कर सकता है, यदि स्वामी या निवासी अनुपस्थित है या उपस्थित होते हुए भी द्वार, फाटक या अवरोध को खोलने से इन्कार करता है।

(3) जिलाधिकारी उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट शक्तियों का प्रयोग उसी सीमा तक करेगा, जितना निम्न प्रयोजनों के लिये आवश्यक हो :-

(क) समुदाय को सहायता तथा संरक्षण प्रदान करने के लिये;

(ख) समुदाय को राहत प्रदान करने के लिये;

(ग) विघटन के निवारण या उसका मुकाबला करने के लिये;

(घ) आपदा के विनाशकारी तथा अन्य प्रभावों से निपटने के लिये।

(4) जिलाधिकारी, किसी भी व्यक्ति या सरकारी अभिकरण को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है तथा ऐसे अन्य कदम उठा सकता है जो कि आपदा की वृद्धि रोकने या आपदा के प्रभावों को कम करने, रोकने या न्यून करने के लिये आवश्यक हों।

20. (1) जिलाधिकारी-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा के निवारण या इसके प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु कार्रवाई या ऐसे प्रभावों से निपटने की तैयारी, जैसा विहित किया जाये, मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप की जा रही है;

(ख) आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं से, सम्बन्धित बातों जैसे पूर्व चेतावनी तथा तैयारी की स्थिति से प्राधिकरण को अवगत करायेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्धन से निपटने की जानकारी, जनपद में कर्मचारी प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि जिला आपदा प्रबन्धन योजनायें तैयार हों, पुनरीक्षित हों तथा अद्यतन हों;

(ङ) स्थानीय सरकारी निकायों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिये सुगमता तथा समन्वय रखेगा जिससे कि जनपद में आपदा पूर्व तथा आपदा प्रबन्धन के कार्यकलाप चलाये जाते हैं;

(च) स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठन तथा निजी क्षेत्र के समर्थन से आपात सुविधाओं की स्थापना, सामुदायिक प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम को सुकर बनायेगा;

(छ) आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित मामलों पर अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करेगा;

(ज) आपात योजनाओं, आकस्मिक योजनाओं तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पुनर्विलोकन करेगा;

(झ) यह सुनिश्चित करेगा कि जनपद में स्थानीय प्राधिकारी अपनी स्वयं की न्यूनीकरण युक्तियों विकसित करने में लगे हैं;

(ञ) आपदा प्रबन्धन कार्यकलापों तथा योजना के मध्य सम्बद्धता सुनिश्चित करेगा;

(ट) यह सुनिश्चित करेगा कि संचार प्रणाली व्यवस्थित है;

(ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि अग्निशमन उपकरण तथा आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित अन्य उपकरण इस तरह अनुरक्षित रहें कि उपयोग के लिये तैयार रहें।

जिलाधिकारी की  
अन्य शक्तियाँ और  
कृत्य

- (ड) जनपद में पुनःनिर्माण तथा पुनर्वास के कार्यकलापों को समन्वित करेगा;
- (ढ) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्धन कवायदें नियतकालिक रूप से होती रहें;
- (ण) पुनःनिर्माण तथा पुनर्वास के लिये प्रयत्नों की प्रगति तथा परिणाम को मॉनिटर करने में प्राधिकरण को सहायता करेगा;
- (त) ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसी राज्य सरकार, प्राधिकरण तथा आयुक्त द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जायं;
- (थ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग व ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसे विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

#### अध्याय—दस

#### स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य

स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य

21. (1) राज्य या उसके किसी भाग के एक बार आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित हो जाने पर, स्थानीय प्राधिकारी ऐसे निर्देशों के अधीन जो प्राधिकरण दे और राज्य आयुक्त तथा जिलाधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन—
- (क) प्राधिकरण, राज्य आयुक्त तथा जिलाधिकारी को सहायता देगा;
  - (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारीवृन्द प्रशिक्षित हैं;
  - (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित सभी संसाधन इस तरह अनुरक्षित हैं कि प्रयोग के लिये तैयार हों;
  - (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार के विभाग तथा प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त अधिकथित विनिर्देशों का स्थानीय क्षेत्र की सभी इमारतों तथा अन्य ढाँचों में पालन किया जाता है;
  - (ङ) राज्य आयुक्त के निर्देशों के अध्याधीन प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य किये जाते हैं;
  - (च) प्राधिकरण द्वारा विरचित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार पुनर्वास तथा पुनःनिर्माण किया जाता है;
  - (छ) राज्य के संगठनों तथा स्टैकहोल्डर्स के साथ योजना के निर्माण तथा कार्यान्वयन को समन्वित करेगा;
  - (ज) नियतकालिक आपदा प्रबन्धन कवायदें करेगा; और
  - (झ) प्राधिकरण, आयुक्त तथा जिलाधिकारी को ऐसी सहायता देगा तथा ऐसे कदम उठायेगा जो आपदा प्रबन्धन हेतु आवश्यक हों।
- (2) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित अपनी आपदा प्रबन्धन योजना तथा उसमें किसी संशोधन की एक प्रति प्राधिकरण तथा आयुक्त के पास प्रस्तुत करेगा।

जनपदों के लिये आपदा प्रबन्धन योजनाएँ

22. (1) जिलाधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी की सहायता से जनपद हेतु एक आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन योजना तैयार करते समय जिलाधिकारी—
- (क) उस आपदा के प्रकार का अनुमान लगायेगा, जो जनपद में घट सकती है तथा उसके सम्भावित प्रभाव;
  - (ख) समुदाय तथा सम्पत्ति जिन पर जोखिम है, उनकी पहचान करेगा;
  - (ग) समुचित निवारण तथा न्यूनीकरण युक्तियों के लिये उपबन्ध करेगा;

- (घ) संभावित खतरों से निपटने में असमर्थता की पहचान तथा क्षमता निर्माण का सम्बर्द्धन करेगा;
- (ङ) अधिकतम आपात तैयारी को सुगम बनायेगा;
- (च) आपदा की दशा में आकस्मिक योजनाओं तथा विहित आपात प्रक्रिया, निम्नलिखित व्यवस्था करने हेतु रखेगा :-
- (i) विभिन्न स्टैकहोल्डर्स को उत्तरदायित्वों का आवंटन तथा उनके उत्तरदायित्वों को निभाने में समन्वय;
  - (ii) तत्काल आपदा अनुक्रिया तथा राहत;
  - (iii) आवश्यक वस्तुओं की उपाप्ति तथा अनिवार्य सेवाओं की व्यवस्था;
  - (iv) सामरिक संचार सम्पर्कों की स्थापना;
  - (v) सूचना का प्रसार; और
  - (vi) ऐसे अन्य मामले जो विनियमों में उपबन्धित हो, तथा उसके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विषय।
- (3) जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके जनपद की आपदा प्रबन्धन योजना इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने की तारीख से 90 दिन के भीतर पूर्ण कर ली जाय और राजपत्र में अधिसूचित कर दी जाय परन्तु मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस बात के लिये स्वतंत्र होगा कि यदि जिलाधिकारी इसमें विस्तारण के लिये अनुरोध किया है तो समुचित विस्तारण दिया जाय, किन्तु किसी भी स्थिति में यह विस्तार छः माह से अधिक का न हो।

#### अध्याय—ग्यारह

#### क्षेत्र की आपदा प्रवृत्त क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषणा

23. (1) प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारियों जैसी भी स्थिति हो, की रिपोर्ट पर या अन्यथा किसी क्षेत्र को आपदा प्रवृत्त क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगा। इस प्रकार की गयी घोषणा प्राधिकरण के अनुमोदन के लिये ऐसी घोषणा के एक सप्ताह के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के सम्मुख रखी जायेगी।
- (2) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसी अवधि विनिर्दिष्ट होगी, जिस अवधि के दौरान उक्त क्षेत्र इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आपदाग्रस्त क्षेत्र बना रहेगा :
- परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर इस अवधि को एक बार में पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि तक बढ़ा संकती है, यदि यथास्थिति, राज्य आयुक्त या जिलाधिकारी द्वारा उस निमित्त दी गयी रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना समीचीन होगा।
- (3) जिस अवधि में कोई क्षेत्र आपदा प्रभावित क्षेत्र बना रहेगा, उसमें—
- (क) प्राधिकरण ऐसे क्षेत्र में निम्न से सम्बन्धित कृत्य निष्पादित करेगा या करवायेगा :-
    - (i) आपदा का निवारण, या
    - (ii) आपदा के प्रभावों का न्यूनीकरण;
  - (ख) आपात राहत को सुगम बनाना, समन्वित करना तथा नियंत्रण करना;
  - (ग) पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास का समन्वय तथा मॉनिटरिंग, तथा ऐसे अन्य कृत्य जैसे कि अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन विहित किये जायें या पूर्वोक्त कृत्यों के अनुपूरक, आनुषांगिक या पारिणामिक हों;

क्षेत्र की आपदा प्रवृत्त क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषणा



- (4) जहाँ प्रभावित क्षेत्र एक या अधिक जनपदों में फैला हो, वहाँ सरकार तथा जहाँ यह एक जनपद तक सीमित हो, वहाँ जिलाधिकारी आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित कृत्यों का निष्पादन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा सौंपे जायें।
- (5) (क) जहाँ आयुक्त या जिलाधिकारी उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट देता है, वहाँ रिपोर्ट देने के साथ ही वह इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा उसको सौंपे गये कृत्यों का निष्पादन तत्काल प्रारम्भ कर देगा।
- (ख) वह कार्यों का निष्पादन नहीं करेगा जहाँ—
- (1) ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर, जहाँ एक क्षेत्र धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन, विनिर्दिष्ट अवधि के लिये प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया हो, या
- (2) पिछली बढ़ाई गयी अवधि के समाप्त हो जाने पर, जहाँ ऐसी अवधि उक्त उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन समय-समय पर ऐसी अवधि बढ़ायी गयी है।
- (3) जहाँ कोई क्षेत्र इस प्रकार घोषित नहीं हुआ है, वहाँ उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार से उस आशय की सूचना की प्राप्ति पर।
- (6) प्राधिकरण, आयुक्त, जिलाधिकारी तथा सभी अन्य अभिकरण उपधारा (5) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (1) या (2) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर पूर्वोक्त क्षेत्र में अपने कृत्यों का निष्पादन नहीं करेंगे।

#### अध्याय—बारह

#### वित्त, लेखा, संपरीक्षा और रिपोर्ट

- प्राधिकरण की निधि 24. (1) प्राधिकरण की अपनी एक निधि होगी जो आपदा प्रबन्धन निधि कहलायेगी तथा प्राधिकरण की सभी प्राप्तियाँ इसमें जमा की जायेंगी तथा प्राधिकरण द्वारा सभी भुगतान उसमें से किये जायेंगे।
- (2) प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यक्ति या निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, से अनुदान, आर्थिक सहायता, सदान तथा उपहार स्वीकार कर सकता है।
- (3) निधि में से निम्न के भुगतान हेतु धन का उपयोग किया जा सकता है :—
- (i) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकरण द्वारा उपगत खर्च;
- (ii) सदस्यों को पारिश्रमिक;
- (iii) प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते;
- (iv) अधिनियम के ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये व्यय, जो विहित किया जाय।।
- (4) (क) प्राधिकरण की निधि का सम्पूर्ण धन ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जायेगा जिसे साधारण या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार निर्देश दे;
- (ख) जहाँ इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु निधि की राशि तुरन्त या किसी शीघ्र तिथि पर उपयोग हेतु अपेक्षित नहीं है, इसे भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के खण्ड (क), (ख), (ख, ख), (ग) या (घ) में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में निवेश किया जा सकता है;
- (ग) ऐसे जमा तथा निवेशों पर अर्जित ब्याज निधि में जमा किया जायेगा।

25. प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन के प्रयोजन के लिये खुले बाजार से या अन्यथा धन उधार ले सकता है। धन का उधार लेना
26. (1) (क) प्राधिकरण, ऐसी तिथि तक जो प्रत्येक वर्ष में विहित की जाये, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये विहित प्रारूप में, उस वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय तथा उस राशि को जो राज्य सरकार से अपेक्षित होनी है, दर्शाते हुये एक बजट राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा; बजट
- (ख) यदि किसी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त राशि पूर्णतया या आंशिक रूप से अव्ययित रहती है तो अव्ययित राशि को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणीत किया जायेगा तथा उस वर्ष के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि के अवधारण में उसे हिसाब में लिया जायेगा।
- (2) कोई राशि प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से तब तक व्यय नहीं की जायेगी, जब तक कि वह व्यय, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बजट प्राविधानों के अन्तर्गत न आता हो।
27. (1) प्राधिकरण के लेखे ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से तैयार व अनुरक्षित किये जायेंगे जैसे कि विहित किया जायें। लेखा एवं संपरीक्षा
- (2) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक लेखा विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करवायेगा, जैसा कि विहित किया जाये।
- (3) प्राधिकरण के लेखे, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 के अधीन कम्पनियों के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु सम्यक् रूप से अर्हता प्राप्त संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे।
- (4) उक्त संपरीक्षक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
- (5) इस अधिनियम के अधीन, प्राधिकरण के लेखे संपरीक्षित करने हेतु नियुक्त प्रत्येक संपरीक्षक को लेखा बहियों, सम्बन्धित वाचचर्स, अन्य दस्तावेज व प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की मांग करने का, प्राधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण करने का तथा प्राधिकरण से ऐसी सूचना, जैसी वह अपने संपरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु आवश्यक समझे, अपेक्षा करने का अधिकार होगा।
- (6) संपरीक्षक, लेखों की संपरीक्षित प्रति के साथ अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण को भेजेगा, जो संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।
- (7) राज्य सरकार उपधारा (6) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इसे राज्य विधान सभा के सम्मुख रखवायेगी।
28. (1) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय के भीतर जैसा कि विहित किये जायें, निम्नलिखित तैयार करेगा :- वार्षिक रिपोर्ट
- (क) पिछले वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का एक सम्पूर्ण, सत्य एवं उचित लेखा जोखा देते हुये एक वार्षिक रिपोर्ट; और
- (ख) अगले वर्ष में प्राधिकरण द्वारा सम्भावित रूप से किये जाने वाले कार्यों का कार्यक्रम; तथा ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित की जायेगी।
- (2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र इसे राज्य विधान सभा के सम्मुख रखवायेगी।

## अध्याय-तेरह

## अपराध एवं शास्तियाँ

अपराध एवं शास्तियाँ 29. (1) जो कोई—

- (क) युक्तियुक्त कारण के बिना राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकरण के किसी अधिकारी या आयुक्त या जिलाधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निष्पादन से रोकता है या बाधा डालता है, या
- (ख) युक्तियुक्त कारण के बिना राज्य सरकार या प्राधिकरण के किसी अधिकारी या आयुक्त या जिलाधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निष्पादन के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने से इंकार करता है; या
- (ग) बिना किसी वैज्ञानिक आधार के किसी आपदा के होने की मिथ्या मविष्यवाणी करता है तथा उसके द्वारा समुदाय में दहशत उत्पन्न करता है; या
- (घ) राज्य सरकार या प्राधिकरण के किसी अधिकारी या आयुक्त या जिलाधिकारी से पुनःनिर्माण या मरम्मत के लिये सहायता हेतु मिथ्या दावा करता है, दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः माह तक की हो सकेगी या जुमाने से जो दस हजार तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

अपराध का संज्ञान 30. कोई मजिस्ट्रेट धारा 29 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय तब के जबकि आयुक्त या जिलाधिकारी या इस निमित्त साधारणतया या विशिष्टतया प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत न की गयी हो।

कम्पनियों द्वारा अपराध 31. (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय, उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिये उस कम्पनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझी जायेगी और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के लिये भागी होगी :

परन्तु, इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित दण्ड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

## स्पष्टीकरण—

इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

- (क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; तथा
- (ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अध्याय—चौदह

प्रकीर्ण

32. (1) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सामान्यतः या विशेष रूप से प्राधिकृत मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त, मंडल आयुक्त या जिलाधिकारी, सभी समुचित समयों पर किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकते हैं तथा वहाँ ऐसे कोई कार्य कर सकते हैं जो, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें सौंपे गये कार्यों के विधिपूर्वक निष्पादन के प्रयोजनों के लिये उचित रूप से आवश्यक हों।
- (2) इस निमित्त सामान्यतः या विशेष रूप से प्राधिकृत प्राधिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी, सभी समुचित समयों पर किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकता है तथा वहाँ ऐसे कोई कार्य कर सकता है जो, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे सौंपे गये कृत्यों के विधिपूर्वक किये जाने के प्रयोजन के लिये उचित रूप से आवश्यक हों।
33. (1) प्राधिकरण लिखित, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने ऐसे कृत्यों को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त, जिलाधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है, जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें।
- (2) प्राधिकरण, लिखित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इसके सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एकाधिक समितियों का गठन कर सकता है तथा ऐसी समिति को प्राधिकरण के ऐसे कृत्य प्रत्यायोजित कर सकता है जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें।
- (3) आयुक्त लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सौंपे गये ऐसे कृत्य किसी व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें।
- (4) जिलाधिकारी लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा व उसके अधीन सौंपे गये ऐसे कृत्य, मुख्य विकास अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है, जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें।
- (5) उपधारा (1), (3) या (4) के अधीन आदेश में वे शर्तें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी जिनके अधीन उसमें विनिर्दिष्ट कृत्यों का निष्पादन किया जाना है।
34. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन में नीतियों के प्रश्नों पर, प्राधिकरण ऐसे निर्देशों द्वारा आवद्ध होगा जैसे समय-समय पर राज्य सरकार लिखित में दे :
- परन्तु, इस उपधारा के अधीन निर्देश दिये जाने के पहले प्राधिकरण को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।
- (2) कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, इस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।
35. (1) प्राधिकरण, आयुक्त, मंडल आयुक्त या जिलाधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन के प्रयोजन के लिये तथा लिखित में अभिलिखित कारणों से, प्रभावित क्षेत्र जिससे कि आपात राहत कार्य किये जा रहे हों, के भीतर, किसी व्यक्ति को कोई विनिर्दिष्ट कार्य करने या उससे प्रविरत रहने का आदेश जारी कर सकता है।
- (2) कोई भी व्यक्ति, ऐसा आदेश प्राप्त होने पर उसका अनुपालन करेगा।
36. प्रत्येक सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त तथा प्राधिकरण का प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी, इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अनुसरण में कार्य करते हुए या करने से तात्पर्यित होते हुए, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अधीन लोक सेवक समझा जायेगा।

प्रवेश की शक्ति

कृत्यों का प्रत्यायोजन

निर्देश जारी करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियाँ

प्राधिकरण की निर्देश देने की शक्ति

सदस्य तथा कर्मचारी का लोक सेवक होना

- अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाहियों का संरक्षण
37. इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम, विनियम या किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सदभावनापूर्वक की गयी या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त या जिलाधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं लायी जायेंगी।
- राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति
38. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
- (2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से नियमों द्वारा विहित किये जाने के लिये अपेक्षित या अनुज्ञात हो ऐसे सभी या किसी एक विषय का उपबन्ध करने के लिये नियम बना सकती है।
- (3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, उनके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य 30 दिन के भीतर राज्य विधान सभा के सम्मुख रखे जायेंगे तथा वह राज्य विधान सभा द्वारा अनुमोदन या ऐसे उपान्तरण के अधीन रहते हुये होंगे जो उस सत्र की अवधि के दौरान, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या इसके ठीक बाद में सत्र में किये जाएं।
- (4) राज्य विधान सभा द्वारा इस प्रकार किया गया अनुमोदन या उपान्तरण राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा तदुपरि प्रभावी होगा।
- प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति
39. (1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन में सार्थक होने के लिए ऐसे विनियम बना सकता है जो अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों।
- (2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात हों, ऐसे सभी या किसी एक विषय का उपबन्ध करने के लिये विनियम बना सकता है।
- व्यावृत्तियाँ
40. प्राधिकरण, इसके अधिकारी तथा कर्मचारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त तथा जिलाधिकारी, राज्य के सम्बन्ध में या उसके सम्बन्ध में आपदा के पश्चात् पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के लिए उपाय समन्वित तथा नियंत्रित करने तथा आपदा राहत नियंत्रित तथा सुगम करने, समन्वित करने, आपदा के प्रभावों के न्यूनीकरण, आपदा की पुनरावृत्ति निवारण हेतु राज्य के कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा निष्पादित कृत्यों के अतिरिक्त, न कि उनके अल्पीकरण, में इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन सौंपे गये कृत्यों का निष्पादन करेंगे।

## अनुसूची आपदाओं की सूची

- I. जल और जलवायु सम्बन्धी आपदायें :
- (क) बाढ़ और जलनिकास प्रबन्ध
  - (ख) चक्रवात
  - (ग) तूफान/हवा एवं हरीकेन
  - (घ) बादलों का फटना
  - (ङ) मू-स्खलन
  - (च) बिजली का गिरना
  - (छ) गर्म और ठण्डी लहरें
  - (ज) सूखा
  - (झ) बर्फीले तूफान (एवलांच)
  - (ञ) ओलावृष्टि
- II. भूगर्भ सम्बन्धी आपदायें :
- (क) भूकम्प
  - (ख) बाँध टूटना
  - (ग) खान में आग लगना
- III. रासायनिक, औद्योगिक और न्यूक्लीय आपदायें :
- (क) रासायनिक, औद्योगिक और न्यूक्लीय आपदायें
  - (ख) दावाग्नि
- IV. दुर्घटना सम्बन्धी आपदायें :
- (क) सड़क/रेल दुर्घटना
  - (ख) भवन का ढहना
  - (ग) विद्युत सम्बन्धी दुर्घटना
  - (घ) शहर/गाँव में आग लगना
  - (ङ) ल्यौहारों से जुड़ी आपदायें
  - (च) बम विस्फोट
  - (छ) यांत्रिकी खराबी (मेकेनिकल फेल्योर)
  - (ज) पहाड़ से पत्थर गिरकर मृत्यु होना अथवा घायल होना
- V. जैविकीय आपदायें :
- (क) मानव और पशु महाभारी
  - (ख) भोजन विषाक्तता।

आज्ञा से,

यू० सी० ध्यानी,  
सचिव।

NO. 617/Vidhayee and Sansadiya Karya/2005

Dehradun, Dated November 11, 2005

**NOTIFICATION****Miscellaneous**

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of The Uttaranchal Disaster Mitigation, Management and Prevention Act, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 29 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on November 10, 2005.

**THE UTTARANCHAL DISASTER MITIGATION, MANAGEMENT AND  
PREVENTION ACT, 2005**

(UTTARANCHAL ACT No. 29 OF 2005)

To provide for Disaster Mitigation, Management and Prevention in the State of Uttaranchal and the matters connected therewith or incidental thereto

AN

ACT

Be it enacted by the State Assembly in the Fifty sixth year of the Republic of India as follows :--

**CHAPTER-I****PRELIMINARY**

- |                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Short title, Extent and Application | 1. | (1) This act may be called the Uttaranchal Disaster Mitigation, Management and Prevention Act, 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     |    | (2) It extends to the whole of the State of Uttaranchal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     |    | (3) It shall come into force at once.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definitions                         | 2. | In this Act, unless the context otherwise requires--                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     |    | (a) "Disaster" means a catastrophe, calamity or mishap, a grave occurrence being, natural or otherwise, which causes, human sufferings, destruction or annihilation of human/animal and plant life, damage to and destruction of property, degradation of environment which overwhelms the prudent and protective measures and disrupts and paralyses the normal functioning of Government and society at large, and includes any one or more of the occurrences mentioned in Schedule; |
|                                     |    | (b) "disaster affected area" means the area where a disaster as defined under Schedule has occurred;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     |    | (c) "Authority" means the Uttaranchal State Disaster Management Authority established under sub-section (1) of section 5;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

- (d) "Commissioner Disaster Management" means the State Commissioner for Disaster Management to be appointed under sub-section (1) of section 10;
- (e) "disaster management" means a continuing and integrated process of planning and implementation of measures with a view to--
- (1) mitigate or reducing the risk of disasters,
  - (2) mitigating the severity or consequence of disasters,
  - (3) capacity-building; for prevention of disaster,
  - (4) emergency preparedness,
  - (5) assessing the effects of disasters,
  - (6) providing emergency relief and rescue, and
  - (7) post-disaster rehabilitation and reconstruction;
- (f) "emergency preparedness" means the State of readiness which enables stakeholders to mobilize, organize and provide relief to deal with an impending or actual disaster or the effects of a disaster;
- (g) "Local Authority" means a municipal corporation, nagar panchayat, municipal council, district panchayat, gram panchayat, notified area committee or cantonment board constituted under relevant local authority law;
- (h) "member" means a member of the Authority;
- (i) "mitigation" means measures aimed at reducing the impact or effects of a disaster;
- (j) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (k) "prevention" means measures the object of which is to avoid the occurrence of a disaster;
- (l) "reconstruction" means repair and reconstruction of a property undertaken after a disaster;
- (m) "regulation" means any activity the objects of which is to restore normalcy in conditions caused by a disaster;
- (n) "relief" means measures taken during or immediately after a declaration of disaster to diminish, or alleviate any suffering, pain, injury distress or hardship caused on account of the disaster;
- (o) "disaster prone area" means an area where there have been repeated occurrence of disasters and apprehension of such repetition in future.

## CHAPTER--II

### AUTHORITIES FOR DISASTER MANAGEMENT

3. For the purposes of the Act the following shall be the competent Authorities namely :--
- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) The State Government,</li> <li>(b) The Uttaranchal State Disaster Management Authority,</li> <li>(c) The Heads of Departments under the State Govt.,</li> <li>(d) Commissioner,</li> <li>(e) District Magistrate of the Districts,</li> <li>(f) Local Authorities,</li> <li>(g) Disaster Mitigation and Management Centre.</li> </ol> | Authorities for<br>Disaster Manage-<br>ment |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|



**CHAPTER--III****FUNCTIONS OF THE STATE GOVERNMENT**

Functions of the  
State Government

4. (1) The State Government shall ensure that all the authorities and agencies under section 3 of the Act take all such measures as are necessary or expedient for the purposes of managing a disaster and mitigating its effects.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of subsection (1) such measures may include all or any of the following measures, namely :--
- (a) Ensuring that appropriate policies and guidelines are developed;
  - (b) Ensuring that the State administration and local authorities take into consideration the guidelines laid down by the Authority while planning its activities;
  - (c) Ensuring that a comprehensive communication and technology network is established and maintained;
  - (d) Ensuring that disaster management plans are prepared and training for managing disaster is given;
  - (e) Ensuring that adequate funds are available for disaster management;
  - (f) Take appropriate steps in the field of research and development including opening of an Institute, for better management, prevention and mitigation of disasters.
- (3) Subject to the provisions of this Act, the State Government, may in exercise of its powers and performance of its functions under this Act, issue a direction in writing to a person or authority for the purpose of avoiding an imminent damage arising out of a disaster or mitigation of its effects and such person or authority shall comply with such direction.
- (4) Subject to the provisions of this Act, the State Government may in exercise of its powers and performance of its functions under this Act, suspend operation of any executive order if such executive order prevents, hinders or delays any necessary action in coping with disaster.
- (5) All department of the State Government shall provide assistance to the Authority, the Commissioner and the District Magistrate or any local authority in setting up communication centres, drawing up contingency plans, capacity building, data collection and identifying and training personnel.

**CHAPTER--IV****ESTABLISHMENT AND INCORPORATION OF THE STATE DISASTER  
MANAGEMENT AUTHORITY**

Establishment and  
incorporation of  
Disaster Manage-  
ment Authority

5. (1) The State Government, shall, by notification in the Official Gazette, establish an Authority to be known as the Uttaranchal State Disaster Management Authority with effect from such date as may be specified in the notification.
- (2) The Authority shall be a body corporate, with perpetual succession and common seal and shall sue or be sued in its corporate name and shall, subject to the provisions of this Act, be competent to acquire, hold and dispose off property, both movable and immovable, and to contract and to do all things necessary for the purposes of this Act.

- (3) The Headquarters of the Authority shall be at Dehradun.
- (4) The Authority may, with the approval of the State Government, for the purpose of provisions of this Act establish offices at such other places within or outside the State as the Authority may deem fit.
6. (1) The Authority shall consist of the following :-
- |                                                                                                                                                                                                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  | Constitution of Authority    |
| (a) Chief Minister of the State, Chairperson                                                                                                                                                     | - <i>ex-officio</i>          |
| (b) Such elected member of the Legislative Assembly who have been designated by the State Government                                                                                             | - <i>as Vice Chairperson</i> |
| (c) Chief Secretary, Member of                                                                                                                                                                   | - <i>ex-officio</i>          |
| (d) Principal Secretary/Secretary, Disaster Management, Government of Uttaranchal                                                                                                                | - <i>ex-officio members</i>  |
| (e) Three Principal Secretaries to be nominated Government of Uttaranchal for amongst the Department of Home, Medical, Finance, PWD, Power, Irrigation, Food & Civil Supplies, Rural Development | - <i>ex-officio members</i>  |
| (f) Head of the Department of Earthquake Engineering, Indian Institute of Technology, Roorkee                                                                                                    | - <i>ex-officio members</i>  |
| (g) Director, Wadia Institute of Himalayan Geology Dehradun.                                                                                                                                     | - <i>ex-officio member</i>   |
| (h) Director, Institute of Remote Sensing, Dehradun                                                                                                                                              | - <i>ex-officio member</i>   |
| (i) Three members to be nominated by the State Government from amongst the persons having knowledge and practical experience in matters relating to disaster Management and control.             |                              |
| (j) Divisional commissioners                                                                                                                                                                     | - <i>ex-officio members</i>  |
| (k) Commissioner Disaster Management to be nominated as Chief Executive Officer-under the Ordinance, member Secretary                                                                            | - <i>ex-officio</i>          |
| (l) Representative of NDM, MOH, GoI, not below the rank of Director                                                                                                                              | - <i>ex-officio member</i>   |
| (m) Executive Director, Disaster Mitigation and Management Center, Dehradun, and                                                                                                                 | - <i>ex-officio member</i>   |
| (n) Commander, Uttaranchal, Sub-Area, Dehradun                                                                                                                                                   | - <i>ex-officio member.</i>  |
- (2) The members other than ex-officio members of the Authority shall hold office during the pleasure of the State Government and shall receive the remuneration as may be prescribed by regulation.

- Meetings of the Authority 7. (1) The Authority shall meet at such times and places and shall, subject to the provisions of sub-section (2), observe such rules of procedure in regard to the transaction of its business at its meetings (including quorum) as may be prescribed by the regulations.
- (2) Every meeting shall be presided over by the Chairperson, if present at the time appointed for holding the same and, if the Chairperson is absent, by the Vice-Chairperson or in his absence by the senior most member present.
- (3) All the issues at the meeting of the Authority shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and, in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.
- (4) (a) Every member, who is, in anyway, whether directly or indirectly, concerned or interested in the contract or arrangement, entered into or proposed to be entered into, by or on behalf of the Authority, shall disclose the nature of his concern or interest before or at the meeting of the Authority.
- (b) No member shall take any part in discussion, or vote on, any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of the Authority if he is in anyway, whether directly or indirectly, concerned or interested in the contract or arrangement:
- Provided that a member shall not be deemed to be concerned or interested as aforesaid by reason of his being a shareholder holding directly and indirectly in the aggregate less than two percent of the paid-up equity share capital of a company concerned or interested in any such contract or arrangement.
- Proceeding not to be invalidated by vacancy etc. 8. No act or proceeding of the Authority shall be invalid merely by reason of--
- (a) any vacancy existing therein or any defect in constitution thereof, or
- (b) any irregularity in its procedure not affecting the merit of the case.
- Officers and employees of Authority 9. (1) The State Government shall nominate Commissioner Disaster Management to be the ex-officio Chief Executive Officer of the Authority who shall exercise such power and perform such functions as are prescribed by the regulations.
- (2) The Authority may appoint such other officers and employees subordinate of the Chief Executive Officer as it considers necessary for the efficient performance of its functions.
- (3) The officers and employees appointed under sub-section (2) shall be entitled to receive such salaries and allowances and shall be governed by such terms and conditions of service as are prescribed by the regulations.
- (4) The officers and employees of the Authority shall perform such functions as may be imposed upon them by a general or special order in writing issued by the Chief Executive Officer.
- State Commissioner for Disaster Management 10. (1) The State Government may for the whole State appoint an officer not below the rank of Additional Secretary to Government of Uttaranchal belonging to Indian Administrative Service to be the State Commissioner for Disaster Management.
- (2) The said Commissioner shall perform such functions related to disaster management as are imposed on him by or under this Act (3). The said Commissioner shall be entitled to receive such salary and allowances and shall be governed by such conditions of service as may be prescribed by regulations.

**CHAPTER--V**  
**FUNCTIONS OF THE AUTHORITY**

11. (1) Subject to the provisions of this Act, the Authority shall be primarily responsible for promoting an integrated and coordinated system of disaster management, including prevention or mitigation of disaster, by the local authorities, stakeholders and communities. Functions of the authority
- The Authority shall--
- (a) act as the central planning, coordinating and monitoring body for disaster management and post-disaster reconstruction, rehabilitation, evaluation and assessment;
  - (b) assist the State Government in formulation of policy relating to emergency relief notwithstanding that the implementation of emergency relief shall be the responsibility of the Revenue Department and other departments of the Government;
  - (c) inform the State Government and departments of that Government on progress made and problems faced in disaster management;
  - (d) Promote general education and awareness on disaster management emergency planning and response and matters related their with or incidental thereto;
  - (e) The State Government, the District Magistrate concerned officers of the State Government and the local authorities in the State shall give such assistance and support to the Authority in performing the functions as may be required by the Authority, Generate and disseminate the basic knowledge that documents potential hazards and information on mitigation approaches both at Government and private sector decision makers;
  - (f) act as an agency for implementation of building construction codes;
  - (g) Develop an objective warning system and identification of areas of refuge;
  - (h) Develop and implement an efficient and proactive Search & Rescue mechanism;
  - (i) Develop and implement an Emergency Medical System;
  - (j) Build and educate constituency for risk management;
  - (k) Development and promulgation of standards;
  - (l) Create an open process for development decision makers;
  - (m) Creating strategic alliances within Government, merging natural and technological hazards and risk management;
  - (n) Utilize regulation and insurance to drive mitigation;
  - (o) Professionalize and standardize emergency management;
  - (p) Ensure comprehensive, coordinated Government response through fail-safe communication among various sectors;
  - (q) Focus on disaster management centered development.
12. The authority shall inspect the quality of construction of any building or structure in any local area in the State and where the Authority is of the opinion that the quality of reconstruction of such building or structure is such that it may result in loss of life or damage to property, if a disaster occurs, it may recommend the local authority to take such action as may be necessary under the relevant local authority law to avoid such consequence. Recommendations to be made to the appropriate authority

**CHAPTER--VI****POWERS AND FUNCTIONS OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

Powers and Functions of the Chief Executive Officers

13. While functioning within the jurisdiction of the Authorities, the Chief Executive Officer shall exercise and perform the following powers and functions, namely :--
- (a) Coordinate and monitor activities relating to prevention and mitigation of disasters, including capacity-building;
  - (b) Coordinate and monitor rehabilitation and reconstruction activities;
  - (c) Monitor the progress of the preparation and updating of disaster management plans and coordinate the implementation of suchy plans;
  - (d) Prepare and submit periodically a report to the authority on the activities undertaken by the authority;
  - (e) Delegate his powers and functions to officers and employees of the authority;
  - (f) To exercise such powers and perform such functions as may be delegate by the authority;
  - (g) To exercise such other powers and perform such other functions as may be specified by the regulations; and
  - (h) To declare that the State or any part thereof is a disaster effected area.

**CHAPTER--VII****POWERS AND FUNCTIONS OF THE STATE COMMISSIONER FOR DISASTER MANAGEMENT**

Emergency Relief

14. (1) During the period an area is declared as a "disaster effected area" the Commissioner may issue directions to the District Magistrate and the local authority having jurisdiction over the affected area to provide emergency relief in accordance with disaster management plans and CRF/NCCF Guidelines, and it will be mandatory for all the local authority from District Magistrate downwards including District Magistrate to whom such directions are given to act in accordance to such directions.
- (2) For the purpose of --
- (a) assisting and protecting the community;
  - (b) providing relief to the community;
  - (c) preventing or combating disruption; or
  - (d) dealing with the destructive and other effects of the disaster, the Commissioner may--
    - (i) make arrangements for release and use of available resources,
    - (ii) control and restrict vehicular traffic to, and from and within the affected area,
    - (iii) control and restrict the entry of any person into, movement within and departure from any affected area or part thereof,
    - (iv) remove debris,
    - (v) conduct search and rescue operations,

- (vi) make arrangements for the disposal of the unclaimed dead body by appropriate means,
  - (vii) provide alternative shelter,
  - (viii) provide food, medicines and other essentials,
  - (ix) require experts and consultants in the fields relevant to the disaster to provide relief under his direction and supervision,
  - (x) procure exclusive or preferential use of amenities, as and when required,
  - (xi) take possession and make use of any property, vehicles, equipment, buildings and means of communication on such terms and conditions, as may be prescribed,
  - (xii) construct temporary bridges or other necessary structures,
  - (xiii) demolish unsafe structures which may endanger the public,
  - (xiv) ensure that non-governmental organizations carry out their activities within disaster effected area in an equitable manner,
  - (xv) disseminate information to the public to deal with the disaster,
  - (xvi) evacuate any population from any affected area for the purpose of preservation of life and for such evacuation use such force as may be necessary, and
  - (xvii) authorize any person, to make entry into any place, to open or cause to be opened, any door, gate or other barrier, if he considers such an action is necessary for preservation of life and property, if the owner or occupier is absent, or being present, refuses to open such door, gate or barrier.
- (3) The Commissioner may issue such directions to any person or Government agency and take such other steps as may be necessary to curtail the escalation of the disaster or to alleviate, contain or minimize the effects of disaster.
- (4) The Commissioner shall keep the authority informed of the actions taken by him, generally for providing relief and particularly under sub-section (1) to (3).
15. (1) The Commissioner shall –
- (a) provide inputs to the authority relating to various aspects of disaster management, such as early warnings and status of preparedness;
  - (b) development an appropriate relief implementation strategy for the State in consultation with the authority, taking into account the unique circumstances of each district and efficiency in institutional capacity and resources of the State;
  - (c) prepare, review and update District or Divisional Level emergency plans and guidelines and ensure that these plans are prepared revised and updated and are in tune with the “master plan” prepared by the Authority;
  - (d) reassess from time to time contingency plans related to disaster management;
  - (e) ensure that disaster management drills are carried out periodically;
  - (f) ensure that communication systems are in order, and contingency plans provide for maximum involvement of local agencies;
  - (g) exercise such powers and perform such functions as may be delegated by the Authority; and
  - (h) exercise such other powers and perform such other functions as may be specified by the regulations.

Other Functions of  
Commissioner

## CHAPTER-VIII

## DISASTER MITIGATION AND MANAGEMENT CENTER

Disaster Mitigation  
and Management  
centre (D.M.M.C.)

16. The Disaster Mitigation and Management Center, will work as a think tank for the Authority and prepare plan for each stages of disaster namely pre-disaster, during-disaster and post-disaster stages which may finally be approved by the Authority. The D.M.M.C. will be located at a place in Uttaranchal as decided by the State Government. The D.M.M.C. will consist of the following :-

- (i) Executive Director, such faculty members as the State Government, in consultation with the Authority, may decide to have;
- (ii) Executive Director--
  - (a) a professional in disaster management, as the State Government in consultation with the Authority, may decide to have,
  - (b) the Executive Director shall perform such functions related to disaster management as are imposed on him by authority,
  - (c) the Executive Director shall be entitled to receive such salary and allowances and shall be governed by such conditions of service as may be prescribed.

Functions of  
D. M. M. C.

17. (1) **Data Collection and Research**--(a) The D.M.M.C. shall take reasonable steps to collect or cause the data to be collected on all aspects of disasters and disaster management and analyze such data and cause and conduct research and study relating to the potential effects of events that may result in disasters; and how to prevent, manage and mitigate these disasters.

(b) The D.M.M.C. may by notice in writing, require any person to provide such information as may be useful for the purpose of sub-section (1) to the D.M.M.C. within such period as may be specified in the notice.

(2) **Repository of Information**--The D.M.M.C. shall act as a repository of information concerning disasters and disaster management, and shall--

- (a) ensure the establishment of communication links and setting up of emergency communication and early warning systems in the State;
- (b) maintain database of information required for the disaster management operations;
- (c) ensure establishment of communication links with disaster management agencies in India and other countries, including institutions performing functions similar to those of the authority;
- (d) to exchange information, and to have access to international expertise on disaster management.

Disaster Manage-  
ment Plans

(3) **Disaster Management Plans**--(a) The D.M.M.C. shall develop or cause to be developed guidelines for the preparation of a master disaster plans and strategies and keep them update and shall assist such departments of Government, local authorities and person, as may be specified by the Authority in preparation of plans and strategies and coordinate them.

- (b) The plan preparing agency while preparing the plan under sub-section (1) shall make suitable provisions in the plan after considering the following, namely :--
- (i) The types of disaster that may occur and their possible effects;
  - (ii) The communities and property at risk;
  - (iii) Provision for appropriate prevention and mitigation strategies;
  - (iv) Inability to deal with disasters and promote capacity building;
  - (v) The integration of strategies for prevention of disaster and mitigation of its effects with development plans, programmes and such other activities in the State;
  - (vi) Provision for assessment of the nature and magnitude of the effects of a disaster;
  - (vii) Any other matter required by the Authority;
  - (viii) The D.M.M.C. shall prepare, or cause to be prepared, and maintain a master plan for the State.
- (4) **Awareness and preparedness--**(a) The D.M.M.C. shall promote or cause to be promoted awareness and preparedness and advise and train the community, and stakeholders with a view to increasing capacity of the community and stakeholders to deal with potential disasters by--
- (a) publishing guidelines and recommendations in this behalf;
  - (b) facilitating access to its electronic database;
  - (c) promoting disaster management capacity-building and training programmes amongst communities and other stakeholders;
  - (d) assisting in the development of methodologies for reduction of vulnerability of disasters;
  - (e) coordinating the integration of methodologies for awareness and preparedness with development plans, programmes and such other activities; and
  - (f) acting in any other manner as it deems fit in this behalf.
- (b) The D.M.M.C. shall formulate such policy relating to mechanism for risk transfer including insurance for disaster preparedness as it deems necessary and implement the same or cause to be implemented.

## CHAPTER--IX

### POWERS AND FUNCTIONS OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER AND DISTRICT MAGISTRATE

18. (1) The Divisional Commissioner shall coordinate and guide the officers and the local bodies in the matter of disaster management in the respective division and shall exercise such general and specific power as may be delegated to him by the Authority, the Commissioner Disaster Management or the State Government.
- (2) On the invocation DDMAP, the Divisional Commissioner shall--
- (a) provide for reinforcement of resources from other districts within the division;
  - (b) keep in constant touch with Chief Secretary, Principal Secretary (Disaster Management), Commissioner Disaster Management, EOC/DMMC.

Powers and  
Functions of  
the Divisional  
Commissioner



Powers and  
Funtions of the  
District Magis-  
trate

19. (1) During the period an area is an affected area, the District Magistrate may issue directions to the officers of the departments of the Government and local authorities in the affected area, to provide emergency relief in accordance with the disaster management plans under the supervision of the Commissioner for Disaster Management.
- (2) The District Magistrate may--
- (a) make arrangement for release and use of available resources;
  - (b) control and restrict traffic to, from and within the area effected by a disaster;
  - (c) control and restrict the entry of any person into, movement within and departure from any disaster area or part thereof;
  - (d) remove devris;
  - (e) conduct search and rescue operations;
  - (f) make arrangements for the disposal of the unclaimed dead bodies, by appropriate means;
  - (g) provide alternative shelter;
  - (h) provide food, medicines and other essentials;
  - (i) require experts and consultants in the matters relevant to the disaster to provide relief under his direction and supervision;
  - (j) take possession and make use of any property, vehicles, equipment, buildings and means of communication on such terms and conditions, as may be prescribed;
  - (k) procure exclusive or preferential use of amenities, as and when required;
  - (l) construct temporary bridges or other structures;
  - (m) demolish unsafe structures which may endanger the public;
  - (n) coordinate with non-governmental organizations and ensure that such entities carry out their activities within disaster effected area in equitable manner;
  - (o) disseminate information to the public to deal with the disaster;
  - (p) direct and compel evacuation, of all or part of the population from any disaster affected area for the purpose of preservation of life and for such evacuation, use such force as may be necessary;
  - (q) authorize any person, to make entry into any place, to open or cause to be opened, any door, gate or other barrier, if he considers such an action is necessary for preservation of life and property, if the owner or occupier is absent, or being present, refuse to open such door, gate or barrier.
- (3) The District Magistrate may exercise the powers contained in sub-section (2) to the extent only that this is necessary for the purpose of--
- (a) assisting and protecting the community;
  - (b) providing relief to the community;
  - (c) preventing or combating disruption; or
  - (d) dealing with the destructive and other effects of the disaster.
- (4) The District Magistrate may issue such directions to any person or Government agency and take such other steps, as may be necessary to curtail the escalation of the disaster or to alleviate, contain or minimize the effects of disaster.

20. (1) District Magistrate shall--

- (a) ensure that actions for prevention of a disaster or mitigation of its effects or preparedness to cope up with such effects are carried out in accordance with guidelines as may be prescribed;
- (b) provide inputs to Authority relating to various aspects of disaster management, such as early warning and status of preparedness;
- (c) ensure that officials in the District acquire the knowledge to deal with disaster management;
- (d) ensure that District disaster management plans are prepared, revised and updated;
- (e) facilitate and, coordinate with, local Government bodies to ensure that pre-disaster and disaster management activities the District are carried out;
- (f) facilitate community training, awareness programmes and the installation of emergency facilities with the support of local administration, non-governmental organizations, and the private sector;
- (g) establish inter-department of coordination on matters related to disaster management;
- (h) review emergency plans, contingency plans and guidelines;
- (i) ensure that local authorities in the District are involved in developing their own mitigation strategies;
- (j) ensure linkage between disaster management activities and planning;
- (k) ensure that communication systems are in order;
- (l) ensure that fire fighting equipments and other equipments related to disaster management are so maintained as to be ready for use;
- (m) coordinate the activities of reconstruction and rehabilitation in the district;
- (n) ensure that disaster management drills are carried out periodically;
- (o) assist the Authority in monitoring the progress and outcome of efforts for reconstruction and rehabilitation;
- (p) exercise such powers and perform such functions as may be delegated to it by the State Government, the Authority and the Commissioner;
- (q) exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by regulations.

Other Powers  
and Functions  
of District  
Magistrate

## CHAPTER-X

### FUNCTIONS OF LOCAL AUTHORITIES

21. (1) Once the State or any area thereof has been declared as a disaster affected area, the local authority shall subject to such directions as the Authority may give and under the supervision of the State Commissioner and the District Magistrate--
- (a) assist the Authority, the Commissioner and the District Magistrate;
  - (b) ensure that the staff of the local authority is trained;
  - (c) ensure that all resources related to disaster management are so maintained as to be ready for use;
  - (d) ensure that all buildings and other structures in the local area comply with the specifications laid down in this behalf by the department of Government and the Authority;

Functions of  
Local Authori-  
ties

- (e) carry out relief operations in the affected area subject to directions of the State Commissioner;
- (f) carry out reconstruction and rehabilitation activities in accordance with the guidelines framed by the Authority;
- (g) coordinate the preparation and the implementation of plan with those of the organizations of the State and stakeholders;
- (h) conduct disaster management drills periodically; and
- (i) provide such assistance to the Authority, the Commissioner and the District Magistrate and take such other steps as may be necessary for disaster management.
- (2) Each local authority shall submit to the Authority and the Commissioner a copy of its disaster management plan proposed under sub-section (1) and any amendment thereto.
22. (1) District Magistrate with the assistance of the local authorities shall prepare a disaster management plan for the District.
- (2) The District Magistrate while preparing a plan under sub-section (1) shall—
- (a) anticipate the types of disaster that may occur in the District and their possible effects;
- (b) identify the communities and property at risk;
- (c) provide for appropriate prevention and mitigation strategies;
- (d) identify the inability to deal with possible disasters and promote capacity building;
- (e) facilitate maximum emergency preparedness; and
- (f) keep contingency plans and prescribed emergency procedures in the event of a disaster, providing for—
- (i) allocation of responsibilities to the various stakeholders and coordinate in the carrying out of their responsibilities,
- (ii) prompt disaster response and relief,
- (iii) procurement of essential goods and the providing of essential services,
- (iv) establishment of strategic communication links,
- (v) the dissemination of information, and
- (vi) such other matters as may be provided for in the regulations and any other matters required by him.
- (3) District Magistrate shall ensure that the "disaster management plan" of his district is completed within a period of 90 days from the date, this act comes into effect and notified in the official Gazette, provided that it will be open for the Chief Executive Officer to give a reasonable extension to link the District Magistrate, if such an extension is asked for. But in no case the extension shall be given beyond a period of six months.

### CHAPTER--XI

#### DECLARATION OF AREA AS DISASTER PRONE AREA OR DISASTER AFFECTED AREA

23. (1) The Chief Executive Officer of the Authority, on report of a District Magistrate or District Magistrates, as the case may be, or otherwise declare an area to be disaster prone area or disaster effected area. The declaration so made shall be laid before the Authority by the Chief Executive Officer within one week of such declaration for the approval of the Authority.

Disaster Man-  
agement Plans  
for Districts

Declaration of  
an area as disas-  
ter prone area  
or disaster  
affected area

- (2) The notification issued under sub-section (1) in respect of an area shall specify the period, not exceeding fifteen days, during which the said area shall, for the purposes of this Act, remain to be the affected area :

Provided that the State Government may extend this period, from time to time by any period not exceeding fifteen days, at one time, if the State Government, having regard to a report made in that behalf by the Commissioner or, as the case may be, the District Magistrate or otherwise, is of the opinion that it is expedient to do so.

- (3) (a) During the period an area remains an affected area the Authority shall perform or cause to be performed in that area functions relating to--
- (i) prevention of disaster, or
  - (ii) mitigation of effects of disaster,
- (b) facilitating, coordinating and monitoring emergency relief, and
- (c) monitoring and coordinating reconstruction and rehabilitation and, such other functions as are prescribed by or under the Act or as are supplemental, incidental or consequential to the aforesaid functions.
- (4) Where the affected area is spread over more than one District, the Government and where the affected area is restricted to a District, the District Magistrate shall perform such of the functions related to disaster management as are imposed on him by or under this Act.
- (5) (a) Where the Commissioner or the District Magistrate makes a report under sub-section (1), simultaneously he shall commence performing the necessary functions imposed on him by or under this Act from the time for therewith; and
- (b) he shall cease to perform the functions--
- (i) where an area is declared under sub-section (1) of section 23 as the affected area for the period specified under sub-section (2) on the expiry of such period, or
  - (ii) where such period is extended from time to time under the proviso to sub-section (2) on the expiry of the period last extended, or
  - (iii) where an area is not so declared, on the receipt of a communication to that effect from the State Government as under clause of sub-section (5).
- (6) The Authority, the Commissioner, the District Magistrate and all other agencies, shall cease to perform their functions in the aforesaid arrea, on the expiry of the period referred to in sub-clause (i) or (ii) of clause (b) of sub-section (5).

## CHAPTER--XII

### FINANCE, ACCOUNTS, AUDIT AND REPORTS

24. (1) The Authority shall have its own fund called the Disaster Management Fund and all receipts of the Authority shall be credited thereto and all payments by the Authority shall be made therefrom. Fund of Authority
- (2) The Authority may accept grants, subscriptions, donations and gifts from the Central or State Government or a local authority or any individual or body, whether incorporated or not, for the purposes of this Act.
- (3) The money from the fund may be applied in payment of--
- (i) expenses incurred by the Authority in performing its functions under this Act,
  - (ii) remuneration to members,

- (iii) salaries and allowances to officers and employees of the Authority,  
 (iv) expenses for such other purposes of the Act as may be prescribed.
- (4) (a) All moneys belonging to the fund of the Authority shall be deposited in such Nationalized bank as the State Government may, by general or special order, direct.  
 (b) Where the amount in the fund is not required to be applied immediately or at an early date for the purpose of this Act, it may be invested in any of the securities specified in clause (a), (b), (bb), (c) or (d) of section 20 of the Indian Trusts Act, 1882.  
 (c) Any interest earned on such deposits and investments shall be credited to the fund.
- Borrowing of Money** 25. The Authority, may with the previous approval of the State Government, borrow money in the open market or otherwise for the purpose of carrying out its functions under this Act.
- Budget** 26. (1) (a) The Authority shall, by such date in each year as may be prescribed, submit to the State Government for approval a budget in the prescribed form for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditures, and the sums which would be required from the State Government during that financial year.  
 (b) If any sum granted by the State Government remains wholly or partly unspent in any financial year, the unspent sum may be carried forward to the next financial year and taken into account in determining the sum to be provided by the State Government for that year.  
 (2) No sum shall be expended by or on behalf of the Authority unless the expenditure is covered by provision in the budget approval by the State Government.
- Accounts and Audit** 27. (1) The accounts of the Authority shall be prepared and maintained in such form and manner as may be prescribed.  
 (2) The Authority shall cause to be prepared for each financial year an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.  
 (3) The accounts of the Authority shall be audited by an auditor duly qualified to Act as an auditor of companies under section 226 of the Companies Act, 1956.  
 (4) The said auditor shall be appointed by the Authority.  
 (5) Every auditor appointed to audit the accounts of the Authority under this Act shall have a right to demand the production of books of accounts, connected vouchers and other documents and papers, to inspect the offices of the Authorities and to require such information from the Authority as he may think necessary for performance of his duty as an auditor.  
 (6) The auditor shall send a copy of his report together with an audited copy of accounts to the Authority which shall, as soon as, may be after the receipt of the audit report, forward the same to the State Government.  
 (7) The State Government shall, as soon as, may be after the receipt of the audit report under sub-section (6), cause the same to be laid before the State Assembly.
- Annual Report** 28. (1) The Authority shall, once in the every year, prepare in such form and at such time of the year, as may be prescribed--  
 (a) an annual report giving a full, true and fair accounts of its activities during the previous year; and  
 (b) programme of work likely to be undertaken by the Authority in the next year, and a copy of such report shall be forwarded to the State Government.  
 (2) The State Government shall, as soon as, may be after the receipt of the annual report under sub-section (1) causes the same to be laid before the State Assembly.

**CHAPTER--XIII**  
**OFFENCES AND PENALTIES**

29. (1) Whoever--

- (a) without reasonable cause prevents or obstructs any officer of the State Government or of local authority or the Authority or the Commissioner or the District Magistrate from carrying out functions under this Act, or
- (b) without reasonable cause refuse to comply with the directions given by an officer of the State Government or the Authority or the Commissioner or the District Magistrate while carrying out his functions under this Act, or
- (c) falsely predicts the occurrence of a disaster without any scientific basis and thereby creates panic in the community, or
- (d) makes a false claim for assistance for reconstruction or repair from any officer of the State Government or Authority or the Commissioner or the District Magistrate.

shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to ten thousand rupees or both.

Offences and Penalties

30. No Magistrate shall take cognizance of an offence under section 29 except on a compliant in writing made by an Officer of the Authority generally or specially authorized in this behalf or the Commissioner or the District Magistrate.

Cognizance of Offences

31. (1) Where an offence may punishable under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of such offence and shall be liable to be prosecuted against and punished accordingly :

Offences by Companies

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of, or is attributable to any negligence on the part of any Director, Manager, Secretary or other officer of the company, such Director, Manager, Secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

*Explanation--*For the purposes of this section--

- (a) "Company" means a body corporate and includes a firm or other association of person; and
- (b) "Director" in relation to a firm means a partner in the firm.

**CHAPTER--XIV**  
**MISCELLANEOUS**

32. (1) The Chief Executive Officer, the Commissioner, Divisional Commissioner or the District Magistrate, generally or specially authorized by the State Government in this behalf, may, at all reasonable times, enter upon any land and there do such things as may be reasonably necessary for the purpose of lawfully performing functions imposed upon them by or under this Act.

Power of entry

- (2) Any officer or employee of the Authority, generally or specially authorized by it in this behalf, may, at all reasonable times, enter upon any land and there do such things as may be reasonably necessary for the purpose of lawfully carrying out any of the functions imposed upon him by or under this Act.
- Delegation of Functions** 33. (1) The Authority may, by a general or special order in writing, delegate to the Chief Executive Officer, the Commissioner, the District Magistrate or any other officer such of its functions under this Act as may be specified in the order.
- (2) The Authority may, by a general or special order in writing, form one or more committees consisting of its members and delegate to such committee such of the functions of the Authority as may be specified in the order.
- (3) The Commissioner may, by an order in writing, delegate to any person such of the functions imposed on him by or under this Act as may be specified in the order.
- (4) The District Magistrate may, by an order in writing, delegate to the Chief Development Officer or any other person such of the functions imposed on him by or under this Act as may be specified in the order.
- (5) An order under sub-section (1), (3) or (4) may specify the conditions subject to which the functions specified therein may be performed.
- Powers of State Government to issue directions** 34. (1) In the performance of its functions under this Act, the Authority shall be bound by such directions on questions of policy as the State Government may give in writing to it from time to time :
- Provided that the Authority shall be given an opportunity to express its view before any direction is given under this sub-section.
- (2) The decision of the State Government, whether a question is one of policy or not, shall be final.
- Power to issue direction** 35. (1) The Authority, the Commissioner, Divisional Commissioner or the District Magistrate for the purpose of performing functions under this Act, and for reasons to be recorded in writing, issue an order directing a person to do or abstain from doing a specified thing within the affected areas in which the emergency relief measures are being undertaken.
- (2) Any person receipt of such order shall comply with the same.
- Members and employees to be public servants** 36. Every member, the Chief Executive Officer, the Commissioner and every officer and employee of the Authority shall, when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or of any rule or regulation made thereunder, be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.
- Protection of action taken under the Act** 37. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Authority or any member or officer or employee of the Authority or the Chief Executive Officer, the Commissioner or the District Magistrate for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or of any rule or regulation or order made thereunder.
- Powers of State Government to make rules** 38. (1) The State Government may, by notification in the official gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality to the foregoing power, such rules may be made to provide for all or any of the matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed by rules.
- (3) All rules made under this section shall be laid within thirty days before the State Assembly as soon as possible after they are made and shall be subject to the approval by the State Assembly or to such modification as the State Assembly may make during the session in which they are so laid or the session immediately following.

- (4) Any approval or modification so made by the State Assembly shall be published in the Official Gazette, and shall thereupon take effect.
39. (1) The Authority may, with the previous approval of the State Government, by notification in the Official Gazette, make regulations not inconsistent with the Act and the rules made there under, for enabling it to perform its functions under this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may be made to provide for all or any of the matters expressly required or allowed by this Act to be specified by regulations.
40. The Authority, its officers and employees, the Chief Executive Officer, the Commissioner and the District Magistrate shall perform functions imposed by or under this Act in addition to and not in derogation of functions performed by the State Government or any of its officers in pursuance of the provisions of any law for the time being in force or in exercise of the executive powers of the State for the prevention of occurrence of disasters, mitigation of effects of disasters, facilitating, coordinating and monitoring emergency relief and monitoring and coordinating measures for reconstruction and rehabilitation in the aftermath of the disasters in the State or in relation thereto.

Powers of Authority to make regulations

Savings

By Order,

U. C. DHYANI,  
Secretary.



**SCHEDULE****LIST OF DISASTERS****I. Water and Climate Related Calamities**

- (a) Floods & Drainage Management
- (b) Cyclones
- (c) Tornadoes and Hurricanes
- (d) Cloud Burst
- (e) Landslide
- (f) Thunder and Lightening
- (g) Heat and Cold Wave
- (h) Drought
- (i) Avalanche
- (j) Hailstorm

**II. Geologically Related Calamities**

- (a) Earthquakes
- (b) Dam Bursts
- (c) Mine Fire

**III. Chemical/Industrial & Nuclear Disasters**

- (a) Chemical/Industrial Nuclear Disasters
- (b) Forest Fire

**IV. Accident Related Disasters**

- (a) Road and Train Accidents, Air Crash, Boat Capsizing
- (b) Building Collapse
- (c) Electric Accident
- (d) Urban and Rural Fire
- (e) Festival Related Disasters
- (f) Bomb Blast
- (g) Mechanical Failure
- (h) Death or Injury due to Stone or Boulder Hits from Hill

**V. Biological Disasters**

- (a) Human and Animals Epidemics
- (b) Food Poisoning.